अत: इस दौरान कार्य स्थगित रखा जावे।
पत्रावली दिनांक - 11-02-2026
को पेश हो।

11-2-26 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित तहसीलदार इन्द्रगढ़ की रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली की गई वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 5-3-26 को पेश हो।

5-3-26 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र पेश किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण / लगायत 3 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत किया था जो राजकीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है एवं प्रार्थना पत्र 212 LTA प्रार्थीगण द्वारा नोट पेश किया गया था अत: प्रकरण चलने योग्य नहीं है तहसीलदार इन्द्रगढ़ रिपोर्ट के मुताबिक टीम गठित कर प्रार्थी की खाते भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में किया जा चुका है तथा पत्थरगढ़ी है सभी खातेदारान द्वारा अनुतोष नहीं चाहा गया है अत: प्रा० पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रकरण में बहस से इन्कार किया प्रार्थी उक्त विवादित आराजी बाबत प्रकरण न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा रेलवे विभाग द्वारा द्वारा रेलवे लाईन

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रम सं. / तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्लान में दर्ज दूरी के अनुसार मौके पर रेल्वे बाऊन्ड्रीवाल बना रखी है. जिसकी पुष्टि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सीमाज्ञान कराया जाकर पुष्टि की गई है। अतः प्रार्थी की का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	